ड्रेट,

...य सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

...संख्या– 154/12 वाद शीर्षक भगवत राम बनाम पन्नालाल

कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
14-10-24 वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थिति पीठासीन अधिकारी राज काज भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 7-1-25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7-1-25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष पक्षकारान उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वादी अब उनके सम्पर्क में नहीं है जिससे वे पत्रावली मे NO-Instruction अंकित करना चाहते है किन्तु इस हेतु वे वादी को जरिये नोटिस सूचित कर नोटिस के पश्चात 21 दिन की अवधी में वादी के सम्पर्क नही करने की स्थिति में कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर NO-Instruction अंकित करने हेतु अवसर चाहते है। अतः न्यायहित मे अवसर दिया जाता है। पूर्व में दिनांक 2-9-24 को इस हेतु अवसर दिया गया था। अतः आगामी पेशी पर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र वास्ते वादी संख्या-3 व प्रतिवादी संख्या 1/2 का प्रस्तुत करे अथवा NO-Instruction plead करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 28/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/1/2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता श्री सम्पत लाल लड्ढा ने जाहिर किया कि वादीगण अब उनके सम्पर्क में नहीं है, बावजूद सूचना वादीगण द्वारा वादी अधिवक्ता से सम्पर्क नही किया जिससे अब वे प्रकरण में वादीगण की ओर से कोई सम्पर्क नही होने से "NO Instruction"	No instruction (हस्ताक्षर)

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट

प्रकरण : संख्या–

शीर्षक ________ बनाम

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	प्लीड कर रहे है एवं इसके पश्चात वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर 'NO instruction' का नोट अंकित कर दिया गया।
	इस प्रकार वादी अधिवक्ता द्वारा वादीगण को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद वादीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही किया जाने से एवं प्रकरण मे पैरवी हेतु स्वयं अथवा अपने किसी अन्य प्रतिनिधी के साथ उपस्थित नही होने से एवं वादी अधिवक्ता द्वारा "NO-Instruction" plead करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहते है
	अतः वादी अधिवक्ता के "NO-Instruction" plead करने करने एवं वादीगण के पैरवी हेतु अनुपस्थित रहने से प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।
	पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होवे।
	(हस्ताक्षर)

Scanned with ACE Scanner